

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES



27 APR 2023

INDIA NON JUDICIAL

(प्रारूप 'ब')

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 573630

प्रारूप 'ब' द्वारा डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही है अथवा 2019-20 संचालित किये जाने का प्रस्ताव है के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत किये जाने वाला नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप :-

हम विनीत सिंह पुत्र रामा सिंह एवं रामा सिंह पुत्र राजधारी सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) राजधारी सिंह फाउण्डेशन, मिर्जापुर, गाजीपुर शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

- यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निम्न शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।
अ- राजधारी सिंह कालेज ऑफ फार्मसी, मिर्जापुर, गाजीपुर (प्रक्रियारत) है।
- यह कि, हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम निम्न विवरण के अनुसार भूमि उपलब्ध है :-

क्रम संख्या	पता	गाटा संख्या	भूमि का रकबा	भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5
1	मिर्जापुर-गाजीपुर	2589मि0	27370 वर्ग मीटर	2.7370 हे0

- यह कि, उपरोक्त अनेक शिक्षण संस्थाओं को निम्न विवरण के अनुसार हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा भूमि आवंटित की गयी है :- लागू नहीं है.

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आवंटित भूमि का भवन	पता	गाटा संख्या	रकबा	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
	राजधारी सिंह कालेज ऑफ फार्मसी	लॉज पर ली गई भूमि पर स्थित है।	मौजा-मिर्जापुर गाजीपुर	2589मि0	9600 वर्ग मीटर	0.9600 हे0

- यह कि, उपरोक्त स्थिति संबन्धित शिक्षण संस्थान के संचालन के प्रारम्भ के समय की है, एवं इसमें कालान्तर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- यह कि, उपरोक्त विवरण में निम्नवत् बदलाव नहीं किया गया है, और आज की तिथि का विवरण निम्नवत् है - कोई बदलाव नहीं।


क्रम संख्या	संस्था का नाम	पता	भूमि का विवरण		
			गाटा संख्या	कुल रकबा	कुल भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1	राजधारी सिंह कालेज ऑफ फार्मसी	मौजा-मिर्जापुर गाजीपुर	2589मि0	9600 वर्ग मीटर	0.9600 हे0

- यह कि, भविष्य में यदि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा कोई नई भूमि क्रय की जाती है तो उसका विवरण परिषद कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिः कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

Biretnya
ह0 अध्यक्ष

Dr
ह0 सचिव

NOTARY
H.Q. Tahsil-Jakhnian
Distt.-Ghazipur



Dr. S.B. Pathak
Advocate
21-09-2023